(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/1068 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 214/अपील/17-18.

केशोराव आ. गोविंदराव जैन
निवासी हिवरखेड़, तह. मुल्ताई, जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

अनुसुइया आ. आनंद राव कुनबी
निवासी हिवरखेड़, तह. मुल्ताई, जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री आनंद शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, मुल्ताई के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हिवरखेड़ भूमि खसरा नं. 80/1 रकबा 0.850 हैक्टेयर, जिससे लगी हुई आवेदक की भूमि खसरा नंबर 79 स्थित है, उसकी भूमि पर आवेदक का अवैधानिक कब्जा पाया गया है, उक्त भूमि का कब्जा अनावेदक

को वापस दिलाया जावे। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-70/15-16 दर्ज कर दिनांक 06.04.2017 को आदेश पारित कर सीमांकन की कार्यवाही की शुद्धता में संदेह होने के कारण अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुल्ताई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.10.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 21.12.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा ग्राह्यता के प्रश्न पर सुने जाने के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का सूक्ष्म अवलोकन व परिशीलन किए बिना आवेदक की अपील को अग्राह्य किया गया, जबकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गये थे, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि 250 की कार्यवाही में भी अवैधानिक सीमांकन के संदर्भ में बताया जा सकता है। इस तथ्य की ओर अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही उन न्याय दृष्टांत का कोई उल्लेख उक्त आदेश में किया गया एवं आवेदक की अपील ग्राह्यता के प्रश्न पर ही निरस्त की गई।

(2) आवेदक के उक्त प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय आयुक्त, होशंगाबाद द्वारा उक्त अपील में न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख बुलाया गया और न ही नायब तहसीलदार, जिसके द्वारा 250 के आवेदन का विचारण किया गया एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन को त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद पाया गया था। इन दोनों प्रकरणों के अभिलेख बुलाये बिना ही आवेदक की अपील को ग्राह्यता के प्रश्न पर ही निरस्त किया गया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि पूर्व में ही क्रय की गई थी एवं अनावेदक द्वारा बाद में बिना सीमांकन

कराये खसरा नं. 80/1 क्रय की गई एवं आवेदक 40 वर्षो से कब्जे में है साथ ही अनावेदक द्वारा 2010 में भी सीमांकन कराया गया था और उस समय से ही मेड़े बने हुए हैं, किंतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख बुलाये उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया एवं आवेदक की उक्त अपील अग्राह्य की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है। सीमांकन के समय आवेदक भी उपस्थित था, परंतु उसके द्वारा सीमांकन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि सीमांकन पंचनामा से होती है। इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है। आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है। अत: अनावेदिका द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि से कब्जा दिलाये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है। उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का जो आदेश दिया है, वह उचित है। आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर